(33)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर, कैम्प रीवा, म0प्र0

R 5148-पी/15

श्री आर.के. देव पाण्डेय एड.
द्वारा पेश। 6.11.15

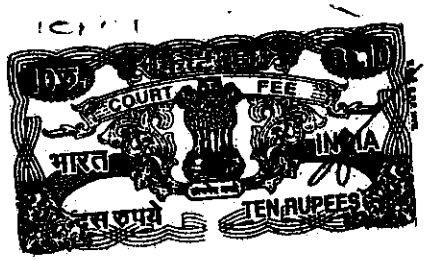

राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1- रामरक्षा प्रजापति पिता रामाधार प्रजापति

2- शिवरक्षा प्रजापति पिता रामाधार प्रजापति

3- सुखाचन्द्र प्रजापति तनय रामाधार प्रजापति

4-सीताराम प्रजापति तनय रामाधार प्रजापति

5- रामकुमार प्रजापति तनय रामाधार प्रजापति

सभी निवासी ग्राम हर्रहवा, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

------निगरानीकर्तागण

बनाम

1- अंजनी प्रसाद तनय बबई राम बा. निवासी ग्राम हर्रहवा, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0 -

2- शासन म0प्र0 - ------ गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक,शासन तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली म0प्र0, के प्रकरण क्र. 34-अ-12/2013-14,आदेश दिनांक 30.7.14, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

===================================

मान्यवर,

आवेदन/निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 5148–दो/15 जिला – सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–4–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सासन जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 34/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30–7–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 11–7–15 को सरहदी कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया जिसपर आवेदक रामरक्षा सहित अन्य सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसपर उन्हें सुनवाई का अवसर देने के उपरांत राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 30–7–14 को आवेदकगण की आपत्ति पर सकारण आदेश पारित कर निरस्त किया तथा सीमांकन की पुष्टि की है। राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है। आवेदकगण चाहे तो	

स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य